

हमने प्रार्थी के वकील की एकपक्षीय वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजियात ग्राम विशाला तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 58 लगायत 61, 70 लगायत 72, 58/179 कुल किता 8 कुल रकबा 4.11 हैक्टर पर उभय पक्ष में रहन, विक्रय व पुख्ता निर्माण करने को लेकर विवाद है। इसलिये हम उभय पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित समझते हैं। अतः उभय पक्ष को दिनांक 30.10.2023 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त वार्णित आराजी की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखेंगे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 30.10.2023 को पेश हो।

उपर्युक्त अधिकारी  
महवा जिला दौसा  
महवा जिला दौसा

दिनांक 25-10-2023 दि. 15. 10. 2023  
आज पत्रावली पेश हुई। वकील...  
पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बहर बघते हैं।  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24-10-23  
को पेश ह्वे।  
रीडर

24-10-24

आज पत्रावली पेश हुई। वकील  
वार्णित आराजी के फलस्वरूप विद्रा कर लिया है इसलिये  
पत्रावली की विद्रा को जारी है।  
की तलबी श्री कोठारी वेंनीवाल ह्वे ने  
की। पत्रावली फलस्वरूप हुमा ह्वे हुमा हुमा  
दिनांक 13-10-2023 को अप्रार्थीगण  
के विक्रय जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त  
की जाती है।  
आदेश लुनाया गया।

उपर्युक्त अधिकारी  
महवा जिला दौसा